21.10.24	पत्रावली पेश हुई उभय पक्ष उपस्थित प्रकरण मे पूर्व मे वकील प्रार्थी की एक तरफा बहस सुनी गई थी। प्रार्थीगण का प्रा.पत्र अ.धा. 251ए.R.T.A का स्वीकार किया जाता है। विस्तृत आदेश पृथक से लिखा जाकर शामील पत्रावली किया गया पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। आदेश की प्रति तहसीलदार नैनगू को पालनार्थ भेजी जावे।
	[signature]

न्यायालय सहायक कलक्टर (उपखण्ड अधिकारी) बेगूं जिला चित्तौड़गढ़ (राज0)

पीठासीन अधिकारी मनस्वी नरेश

प्रार्थना पत्र संख्या :– 112/2016

1. हेमराज पिता बालू जी जाति गुर्जर निवासी करलाव तह0 बिजौलिया
2. बालूलाल पिता रतिराम जी जाति गुर्जर निवासी करलाव तह0 बिजौलिया

प्रार्थीगण

बनाम

1. माधु पिता हेला जी जाति गुर्जर निवासी भवानीपुरा तह0 बेगूं
2. भूलीबाई पति सीताराम जाति गुर्जर निवासी भवानीपुरा तह0 बेगूं
3. मगीलाल पिता सीजताराम जाति गुर्जर निवासी भवानीपुरा तह0 बेगूं
4. लीलाबाई पुत्री सीताराम जाति गुर्जर निवासी भवानीपुरा तह0 बेगूं
5. धापुबाई पति नन्दा जाति गुर्जर निवासी भवानीपुरा तह0 बेगूं
6. भैरूलाल पिता नन्दा जाति गुर्जर निवासी भवानीपुरा तह0 बेगूं
7. बख्शीबाई पुत्री होला जी जाति गुर्जर निवासी भवानीपुरा तह0 बेगूं
8. जमनीबाई बेवा होला जी जाति गुर्जर निवासी भवानीपुरा तह0 बेगूं
9. मेघा पिता बरदा जी जाति गुर्जर निवासी भवानीपुरा तह0 बेगूं
10. मु0 टेकुबाई पति देवीलाल जाति गुर्जर निवासी भवानीपुरा तह0 बेगूं
11. मांगीलाल पिता उंकार जी जाति गुर्जर निवासी भवानीपुरा तह0 बेगूं
12. हाबूलाल पिता उंकार जी जाति गुर्जर निवासी भवानीपुरा तह0 बेगूं
13. मु0 प्यारीबाई पति उंकार जी जाति गुर्जर निवासी भवानीपुरा तह0 बेगूं
14. श्रीमान भूमिधारी जी जरिये तहसीलदार साहब बेगूं जिला चित्तौड़गढ़
15. श्री राजस्थान राज्य जरिये प्रतिनिधि श्रीमान जिला कलक्टर महोदय जी चित्तौड़गढ़

विपक्षीगण

उपस्थित :– श्री सी0पी0शर्मा
अधिवक्ता प्रार्थीगण
श्री गोपाल लाल गुरूजी
अधिवक्ता विपक्षी

आदेश दिनांक :–21.10.2024

आदेश प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251(ए) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

प्रार्थीगण की ओर से प्रार्थना पत्र उनके अधिवक्ता श्री सी.पी.शर्मा द्वारा प्रस्तुत कर प्रार्थना पत्र में निवेदन किया कि ग्राम भवानीपुरा पटवार हल्का खेडी तहसील बेगूं मे हम प्रार्थीगण की खातेदारी एवं कब्जे काश्त की भूमि स्थित हैतथा मौके पर प्रार्थी संख्या एक के खातेदारी में आराजी संख्या 154 रकबा 0.7400 हैक्टर, आराजी संख्या 158 रकबा 0.6000 हैक्टर भूमि स्थित है। तथा प्रार्थी संख्या दो बालूलाल गुर्जर की भूमि भी खाता संख्या 28 में अंकित आराजी संख्या 147, 148, 150, 156, 162, 165, 173, 175, 176, 177 की आराजी में 19/66 प्लस 2/9 कुल हिस्सा 121/288 हिस्से से भूमि स्थित होकर उक्त प्रार्थी आपसी विभाजन से आपसी आराजी संख्या 175, 176, 177, 178, 179 पर काबिज होकर 1.2475 हैक्टर भूमि पर काबिज है उक्त खाता अनुसार भी कुल भूमि 2.9700 हैक्टर का 121/288 हिस्सा 1.2475 हैक्टर तथा आराजी संख्या 178 रकबा 0.3700 हैक्टर व आराजी संख्या 179 रकबा 0.4900 हैक्टर का 1/2 हिस्सा अर्थात 0.43 हैक्टर भूमि का हिस्सा है। इस प्रकार उक्त दोनो प्रार्थीगण नजरी नक्शे अनुसार आराजी संख्या 154, 158, 175, 177, 178, 179 पर हिस्सा अनुसार काबिज होकर भूमि के स्वामित्व में है।

यह कि विपक्षीगण खाता संख्या 28 की शेष भूमि आराजी संख्या 147, 148, 150, 156, 162 पर एवं खाता संख्या 13 में अंकित आराजी संख्या 143, 146, 151, 160, 174, 193, 194, 195, 196, 208 की भूमि पर काबिज है।

यह कि प्रार्थीगण अपनी कृषि भूमि पर आने जाने एवं कृषि भूमि का उपयोग उपभोग करने के लिए आराजी संख्या 174, 160व 161 की उत्तरी सीमा एवं आराजी संख्या 159, 145, 144 की दक्षिण सीमा पर स्थित मेर पर 10 फीट चौडा रास्ता का उपयोग पूर्व से पश्चिम तक करते हुए आते जाते है मौके पर भी वर्तमान यह रास्ता स्थित होकर अन्य खातेदार भी इस रास्ते सही अपने अपने खेतो मे आते जाते है। प्रार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र के समर्थन में प्रस्तुत नजरी नक्शा में अंकित एवं दर्शित लाल स्याही से दर्शाया रास्ता से प्रार्थीगण अपनी भूमि पर आने जाने एवं कृषि सम्बन्धी सामान व ट्रेक्टर हल बैल लाने ले जाने का उपयोग करते है प्रार्थीगण ने यह भूमि क्रय की है तथा क्रय करने के पश्चात से इसी रास्ते से अपनी क्रयशुदा भूमि पर आ जा रहे है तथा भूमि का उपयोग उपभोग कर रहे है प्रार्थीगण द्वारा भूमि क्रय करने के पूर्व विक्रेता भी इसी भूमि से पुश्तैनी रूप से आ जा रहे थे, प्रार्थी संख्या एक ने भूमि विक्रेतागण विपक्षी माधु विपक्षी संख्या एक बख्शी विपक्षी संख्या सात व मेघा विपक्षी संख्या 9 से कुलिया हक हकूक प्राप्त अधिकार सुखाधिकार सहित क्रय की है जिससे प्रार्थीगण को इस रास्ते से आने जाने के समस्त सुखाधिकार सहित अधिकार प्राप्त है तथा प्रार्थी संख्या दो ने गुलाम मुस्तफा पिता फकीर मोहम्मद व भैरूलाल पिता नाथूलाल धाकड व इब्राहिम पिता निजामुद्दीन मंसूरी से भूमि हक हकुक प्राप्त अधिकार सुखाधिकार सहित क्रय की है।

यह कि प्रार्थीगण के पास अपनी आराजीयात पर आने जाने का प्रार्थना पत्र में वर्णित रास्ते अलावा अन्य कोई रास्ता नहीं है विपक्षीगण ने हम सलाह होकर प्रार्थीगण का रास्ता रोक दिया जिससे प्रार्थीगण अपनी भूमि का उपयोग उपभोग नहीं कर पा रहे है, प्रार्थीगण को रास्ता बन्द हो जाने से काफी दिक्कतो का सामना करना पड

सहायक कलेक्टर
(उपखण्ड अधिकारी)

प्रार्थीगण को आने जाने एवं अपनी कृषि भूमि का उपयोग उपभोग करने के लिए प्रार्थना पत्र में वर्णित रास्ता ...ा जाना न्यायोचित एवं विधि सम्मत है।

यह कि विपक्षीगण की भूमि में वर्णित नजरी नक्शे अनुसार भूमि यद्यपि रास्ता ही है फिर भी प्रार्थीगण इस भूमि की डी0एल0सी रेट अनुसार माननीय न्यायालय के निर्णय अनुसार कीमत अदा करने को तैयार एवं तत्पर है इसलिए प्रार्थीगण के पक्ष मे आदेश 9प्रदान कराया जाना न्यायोचित है कि वर्णित रास्ता को बिलाना रास्ता प्रार्थीगण की आराजी में आने जाने हेतु घोषित करते हुए वाजिब कीमत विपक्षीगण को दिलाई जाकर रास्ता खुला कराये जाने का आदेश प्रदान कराया जावें।

अतः माननीय न्यायालय से प्रार्थना पत्र है कि प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र प्रारूप के साथ साथ संलग्न प्रार्थनापत्र अनुसार प्रस्तुत है प्रार्थीगण के पक्ष में एवं विपक्षीगण के विरूद्ध आदेश प्रदान कराया जावे कि नजरी नक्शा मे दर्ज लाल स्याही से दर्शित रास्ता आराजी संख्या 174, 160 व 161 के उत्तर में एवं आराजी संख्या 159, 145 व 144 के दक्षिण में दोनों खेतो की मेरो के बीचों बीच 10 फीट चौडा रास्ता प्रार्थी के खेत आराजी संख्या 154, 158, 175, 176, 177, 178, 179 मे आने जाने हेतु रास्ता कायम करने का आदेश प्रदान कराया जावे व रास्ता की भूमि को बिलानाम भूमि दर्ज रेकार्ड अंकित की जाकर रास्ता मौके पर प्रार्थीगण के लिए खोला जाने का आदेश प्रदान कराया जावे। प्रार्थना पत्र की पुष्ठी में शपथ पत्र पेश है एवं प्रोपर प्रोफार्मा में भी आवेदन पेश है जो स्वीकार फरमाया जावें।

प्रार्थना पत्र न्यायालय में प्रस्तुत होने पर वाद जॉच दर्ज रजिस्टर किया जाकर विपक्षीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया, पत्रावली में विपक्षीगण संख्या 1 से 13 तक के सम्मन वाद तामील प्राप्त हुए विपक्षी संख्या 1 की ओर से अधिवक्ता श्री गोपाल लाल जी गुरूजी द्वारा अपना अधिकार पत्र पत्रावली में प्रस्तुत किया, जबकि विपक्षी संख्या 2 से 13 तक बावजूद सूचना के इस न्यायालय में उपस्थित नहीं आने से उनके विरूद्ध एक तरफा कार्यवाही करने के आदेश न्यायालय द्वारा दिये गये। विपक्षी सख्या 1 के अधिवक्ता ने जाहिर किया कि वे इस प्रार्थना पत्र का जवाव प्रस्तुत नहीं करना चाहते है। पत्रावली में रास्ते के सम्वन्ध में रिपोर्ट तहसीलदार बेगूँ से तलब की गई। तहसीलदार बेगूँ द्वारा उनके पत्रांक 4733 दिनिांक 05.04.2023 के साथ संलग्न रिपोर्ट प्राप्त हुई है। प्राप्त रिपोर्ट में अंकित किया गया कि प्रार्थी द्वारा रास्ते हेतु चाही गई आराजीयात की लम्बाई चौडाई की आराजीवार रास्ते हेतु प्रस्तावित भूमि का रकबा वर्गमीटर में निम्नानुसार हैः—

ग्राम भवानीपुरा प0ह0 खेडी

आ0नं0	लम्बाई (मीटर)	चौडाई (मीटर)	रकबा वर्गमीटर	रकबा (व.मी.)पूर्णांक
144	16.05	1.524 (5फिट)	25.15	25
145	66	1.524	100.58	101
159	159	1.524	242.32	242
161	16.5	1.524	25.15	25
160	202	1.524	307.85	308
174	23	1.524	35.05	35
किता 06			736.10	736

यह कि आराजी नंम्बर 144 व 145 मे से रकबा क्रमशः 25.15 व 100.58 वर्गमीटर कुल रकबा 125.73 वर्गमीटर रास्ते हेतु प्रस्तावित हैं। आ.नं. 144 व 145 वर्तमान रेकार्ड मुताबिक संपूर्ण श्री नन्दा पुत्र छोगा जाति गुर्जर निवासी भवानीपुरा के नाम दर्ज है। इसी प्रकार आराजी नं. 159 व 161 मे से रकबा 242.32 व 25.15 वर्गमीटर कुल रकबा 267.47 वर्गमीटर भूमि रास्ते हेतु प्रस्तावित है। आराजी नं. 159 व 161 वर्तमान रेकार्ड में निम्न खातेदारो के नाम दर्ज हैः—

1— जमनी पत्नि होला गुर्जर निवासी भवानीपुरा हि0 1/10
2— धापू पत्नि नन्दा गुर्जर निवासी भवानीपुरा हि0 1/20
3— वख्शी पुत्री होला जाति गुर्जर निवासी भवानीपुरा हि0 1/10
4— भैरू पुत्र नन्दा गुर्जर निवासी भवानीपुरा हि0 1/20
5— भूली पत्नि सीताराम गुर्जर निवासी भवानीपुरा हि0 1/30
6— मेगा पुत्र बरदा गुर्जर निवासी भवानीपुरा हि0 1/2
7— मांगीलाल पुत्र सीताराम गुर्जर निवासी भवानीपुरा हि0 1/30
8— माधू पुत्र होला गुर्जर निवासी भवानीपुरा हि0 1/10
9— नीला पुत्री सीतारमा गूर्जर निवासी भवानीपुरा हि0 1/30

इसी प्रकार आराजी नं0 160 व 174 मे से रकबा क्रमशः 307.85 व 35.05 वर्गमीटर कुल रकबा 342.90 वर्गमीटर भूमि रास्ते हेतु प्रस्तावित है। आराजी नं0 160 व 174 रेकार्ड मुताबिक निम्न खातेदारान के नाम दर्ज है।

1— ठेकूबाई पत्नि स्व. देवीलाल गुर्जर निवासी भवानीपुरा हि0 1/2
2— प्यारीबाई पत्नि उंकारलाल गुर्जर निवासी भुवानीपुरा हि0 1/6
3— मांगीलाल पुत्र उंकारलाल गुर्जर निवासी भवानीपुरा हि0 1/6
4— हाबूलाल पुत्र उंकारलाल गुर्जर निवासी भवानीपुरा हि0 1/6

उपरोक्त खातेदारान को हिस्सानुसार राशि की गणना डी.एल.सी. रेट से उप पंजियक पारसोली व तहसील राजस्व लेखाकार से निम्न प्रकार की गई है :—

रिपोर्ट भू0अ0नि0 वृत बिछोर अनुसार रास्ते हेतु ग्राम भवानीपुरा प0ह0 खेडी की आराजी संख्या 144, 145 मे 126 वर्गमीटर आराजी नम्बर 159, 161 मे 267 वर्गमीटर तथा आराजी नं0 160, 174 मे 343 वर्गमीटर कुल 126+267+343— 736 वर्गमीटर भूमि रास्ते हेतु प्रस्तावित है। पंजीयन की रिपोर्ट अनुसार प्रस्तावित भूमि का मूल्य— डी.एल.सी. — 610319/ हे0, डी एल सी का दुगुना — 610319गुणा 2 यानि 1220638/—

सहायक कलेक्टर
(उपखण्ड अधिकारी)
बेगूँ (चित्तौड़गढ़)

...ावजा राशि (आ.नं. 144, 145)– 1220638/10000गुणा 126– 15380/–रूपये जमाबंदी अनुसार प्रभावित ...कारो को मुआवजा राशि निम्नानुसार बनती है:–

...ं. आराजी संख्या	नाम खातेदार	हिस्सा	राशि
144, 145	श्री नन्दा पुत्र छोगा जाति गुर्जर	सम्पूर्ण	15380/–

(ब) मुआवजा राशि (आ0नं0 159, 161) – 1220638/10000गुणा 267 – 32591/– पूर्णांक 32600/– जमाबन्दी अनुसार प्रभावित काश्तकारो को मुआवजा राशि निम्नानुसार बनती है:–

क.सं.	आराजी संख्या	नाम खातेदार	हिस्सा	राशि
1–	159, 161	जमनी पत्नि होला गुर्जर	1/10	3260
2–	159, 161	धापू पत्नि नन्दा गुर्जर	1/20	1630
3–	159, 161	बख्शी पुत्री होला जाति गुर्जर	1/10	3260
4–	159, 161	भैरू पुत्र नन्दा गुर्जर	1/20	1630
5–	159, 161	भूली पत्नि सीताराम गुर्जर	1/30	1087
6–	159, 161	मेगा पुत्र वरदा गुर्जर	1/2	16300
7–	159, 161	मांगीलाल पुत्र सीताराम गुर्जर	1/30	1087
8–	159, 161	माधू पुत्र होला गुर्जर	1/10	3260
9–	159, 161	नीला पुत्री सीताराम गूर्जर	1/30	1086
				32600/–

(स) मुआवजा राशि (आ0नं0 160, 174)– 1220638/10000गुणा 343– 41867 पूर्णाक में 41870/– जमाबंदी अनुसार प्रभावित काश्तकारो को मुआवजा राशि निम्नानुसार बनती है:–

क.सं.	आराजी संख्या	नाम खातेदार	हिस्सा	राशि
1–	160, 174	ठेकूबाई पत्नि स्व. देवीलाल गुर्जर	1/2	20935
2–	160, 174	प्यारीबाई पत्नि उंकारलाल गुर्जर	1/6	6978
3–	160, 174	मांगीलाल पुत्र उंकारलाल गुर्जर	1/6	6978
4–	160, 174	हाबूलाल पुत्र उंकारलाल गुर्जर	1/6	6979
				41870/–

उपरोक्त प्राप्त रिपोर्ट पर प्रार्थना पत्र 251 ए आर.टी.एक्ट के लिए बहस उभयपक्ष की सुनी गई। अधिवकता प्रार्थीगण ने अपनी बहस को प्रार्थना पत्र के अनुसार निवेदन करते हुए रास्ते के सम्बन्ध में प्राप्त रिपोर्ट को सही बताया है तथा राशि जमा कराने की सहमति जाहिर की है। जबकि बहस में अधिवक्ता विपक्षी उपस्थित नहीं आए है। इस प्रकार एक तरफा बहस सुने जाने के उपरान्त व पत्रावली में प्राप्त दस्तावेज जमाबंदी नक्शाट्रेस एवं नजरी नक्शा आदि के अवलोकन से प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाने योग्य पाया जाता है।

अतः प्रार्थना पत्र प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251 ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का स्वीकार किया जाता है। प्रार्थी संख्या 1 के खातेदारी में दर्ज मौजा भवानीपुरा प0ह0 खेडी की आराजी संख्या 154 रकबा 0.7400 हैक्टर, एवं आराजी संख्या 158 रकबा 0.6000 हैक्टर, भूमि मे तथा प्रार्थी संख्या 2 के खातेदारी में दर्ज आराजी मौजा भवानीपुरा प0ह0 खेडी की आराजी संख्या 175,176, 177,178,179 रकबा 1.2475 हैक्टर कृषि भूमि पर आने जाने हेतु विपक्षीगण की आराजी संख्या 144, 145, 159, 161 एवं 160, 174 मे से कुल रास्ते हेतु उपयोग में ली जाने वाली भूमि 736 वर्गमीटर भूमि के लिए प्रार्थीगण द्वारा डी0एल0सी0 दर से प्रतिकर राशि 15380+32600+41870 कुल योग 89850/–राशि तहसीलदार कार्यालय में जमा कराने पर प्रार्थीगण की कृषि आराजी में पहुँच हेतु विपक्षीगण की आराजी संख्या 144, 145, 159, 161, एवं 160, 174, भूमि मे से 736 वर्गमीटर भूमि बिलानाम सार्वजनिक रास्ते हेतु राजस्व रिकोर्ड में दर्ज किये जाने के आदेश दिये जाते है। प्रार्थीगण द्वारा जमा कराई गई राशि 89850/– रूपये का भुगतान निर्णय में अंकित आराजी अनुसार काश्तकारों को नियमानुसार किया जावें। निर्णय की प्रति तहसीलदार बेगूँ को पालनार्थ दी जावें।

आदेश आज दिनांक 21.10.2024 को लिखाया जाकर सरे ईजलास सुनाया गया।

(मनस्वी नरेश)
सहायक कलेक्टर,
(उपखण्ड अधिकारी) बेगूँ
बेगूँ (चित्तौड़गढ़)

क्रमांक/सरिश्ता/2024/523 दिनांक ::– 25-10-24

प्रार्थना पत्र संख्या 112/2016 व अनवान हेमराज गुर्जर वनाम माधु गुर्जर वगै. प्रार्थना पत्र 251 ए आर.टी.एक्ट में हुए आदेश की प्रति पालनार्थ तहसीलदार बेगूँ को दी जाती है।

सहायक कलक्टर,
(उपखण्ड अधिकारी) बेगूँ
बेगूँ (चित्तौड़गढ़)